"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 950] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2025 — अग्रहायण 20, शक 1947

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक 115/सीएसईआरसी/2025. – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2) और धारा 32(3) के सहपठित धारा 61 और 62 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है :

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2025.

अध्याय–1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

(i) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2025 कहलायेंगे।

(ii) ये विनियम अधिनियम की धारा 62 के तहत टैरिफ के निर्धारण और वित्तीय वर्ष 2026–27 से वित्तीय वर्ष 2029–30 के लिए धारा 32 (3) के अनुसार एसएलडीसी की शुल्क और प्रभारों के लिए लागू होंगे, और यह तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इन विनियमों को नवीन विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है।

(iii) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा।

2. प्रयोज्यता की सीमा और विस्तारः

2.1 ये विनियम टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए और टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे :

(क) राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू)

(ख) सभी उत्पादन केन्द्र, जो सीधे या राज्य व्यापार लाइसेंसधारियों के माध्यम से राज्य के वितरण लाइसेंसधारियों को दीर्घकालिक समझौते के तहत विद्युत आपूर्ति करते हैं, सिवाय उन उत्पादन केन्द्रों के, जो केन्द्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं और राज्य में स्थित ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों को छोड़कर, जिनके टैरिफ का निर्धारण, आयोग द्वारा प्रासंगिक विनियमों और आदेशों के तहत किया जाता है :

परंतु यह कि ये विनियम, उन सभी मामलों में भी लागू होंगे, जहां किसी उत्पादन कंपनी के पास उसे आवंटित एकीकृत खान (खानों) से उसके निर्दिष्ट अंतिम उपयोग वाले एक या अधिक उत्पादन स्टेशनों के लिए कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था है, जिसका टैरिफ, अधिनियम की धारा 62 सहपठित धारा 86 के तहत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

(ग) सभी अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी;

(घ) सभी वितरण लाइसेंसधारी; और

(ई) राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी):

परंतु यह कि इन विनियमों में किसी प्रावधान के अभाव में, आयोग, आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों द्वारा निर्देशित होगा।

2.2. ये विनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :

(i) स्टैंड–अलोन जनरेटर :

परंतु यह कि, धारा 63 के अंतर्गत आने वाले स्टैंड अलोन जनरेटर या कोई भी उत्पादन स्टेशन जो सहायक सेवाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो लाइसेंसधारी और/या उपभोक्ताओं को अपनी बिजली की आपूर्ति के प्रयोजन के लिए शेड्यूलिंग, ऊर्जा मीटरिंग या लेखांकन के लिए एसआईडीसी की सेवाएं लेते हैं या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र या ऐसे अन्य प्रयोजन के लिये, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर अधिदेशित किए जा सकते हैं, उन्हें इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट शुल्क और प्रभार का भुगतान करना होगा।

(ii) ऐसे उत्पादन स्टेशन और पारेषण प्रणाली, जिनका टैरिफ, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा जिसे विवेकपूर्ण

जांच के बाद अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत आयोग द्वारा अपनाया गया है।

2.3. इन विनियमों के अंतर्गत सभी कार्यवाहियां, सीएसईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2009 और उसके अंतर्गत अधिनियमों के संशोधन द्वारा शासित होंगी।

3. परिभाषाएँ : इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

3.1. **"लेखा विवरण"** से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्ष के लिए, निम्नलिखित विवरण, अर्थात–

कंपनी अधिनियम में निहित प्रपत्र या आवश्यकता के अनुसार तैयार किया गया बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित हो;

चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित समाधान विवरण, जो कंपनी के रूप में इकाई के कुल व्यय, राजस्व, परिसंपत्तियों और देनदारियों तथा आयोग द्वारा विनियमित प्रत्येक व्यवसाय और अन्य/अनियमित व्यवसाय संचालनों के लिए अलग–अलग व्यय, राजस्व, परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच समाधान दर्शाता है:

परंतु यह कि, यदि लाइसेंस शर्तों के अनुसार प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के लिए और वित्तीय वर्ष 2026–27 के बाद प्रत्येक विनियमित व्यवसाय के लिए अलग–अलग लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो उत्पादक कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएल.डीसी द्वारा दायर याचिकाओं को आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद खारिज किया जा सकता है:

परंतु यह और कि जब तक एसएलडीसी को राज्य एजेंसी के रूप में पृथक रूप से स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीआईसीएल) के अंतर्गत पृथक इकाई के रूप में एसएलडीसी के लिए पृथक लेखा पुस्तकें सीएसपीटीसीएल द्वारा संधारित एवं प्रमाणित की जाएंगी;

3.2. **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) या उसमें किए गए कोई संशोधन या उसके बाद के कोई अधिनियमिति;

3.3. **"अतिरिक्त पूंजीकरण"** से अभिप्रेत है परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि के बाद किए गए या किए जाने वाले अनुमानित पूंजीगत व्यय, जिसे आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के बाद स्वीकार किया गया है, जो विनियमन 19 के प्रावधानों के अध्यधीन है;

3.4. **"समग्र राजस्व आवश्यकता" या "एआरआर"** से अभिप्रेत है लाइसेंस प्राप्त और/या विनियमित व्यवसाय से संबंधित लागत, जिसे इस विनियमन के अनुसार, आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ और प्रभारों से वसूलने की अनुमति है;

3.5. **"आवंटन मैट्रिक्स"** में इस विनियमन के अध्याय 7 में विनिर्दिष्ट तत्व शामिल होंगे;

3.6. एकीकृत खान(खानों) के संबंध में **''वार्षिक लक्ष्य मात्रा'' या ''एटीक्यू''** से अभिप्रेत है ऐसी एकीकृत खान(खानों) से एक वर्ष के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की मात्रा, जो खनन योजना में विनिर्दिष्ट मात्रा के 85 प्रतिशत के अनुरूप है;

परंतु यह कि, यदि कोयले की एकीकृत खदान(खदानें), खनन योजना के अनुसार कोयले की आपूर्ति के लिए तैयार है, किन्तु उत्पादन कंपनी के कारण से नहीं, बल्कि अन्य कारणों से इसमें बाधा उत्पन्न होती है, तो आयोग, वार्षिक लक्ष्य मात्रा में छूट दे सकता है।

3.7. **''आवेदक''** से अभिप्रेत है ऐसे लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी, जिसने इस विनियमन और अधिनियम के अनुसार टैरिफ निर्धारण या ट्रक–अप के लिए याचिका दायर की है;

3.8. **''लेखा परीक्षक''** से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 या धारा 148 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार, किसी उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक;

3.9. किसी उत्पादन केंद्र के मामले में किसी अवधि के संबंध में **''उत्पादन केंद्र में सहायक ऊर्जा खपत'' या ''एयूएक्स''** से अभिप्रेत है उत्पादन केंद्र के सहायक उपकरणों द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा, जैसे कि संयंत्र और मशीनरी के संचालन के लिए उपयोग किए जा रहे उपकरण, जिसमें उत्पादन केंद्र का स्विचयार्ड और उत्पादन केंद्र के भीतर ट्रांसफार्मर की हानियां शामिल हैं, जिसे उत्पादन केंद्र की सभी इकाइयों के जनरेटर टर्मिनलों पर उत्पादित सकल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है:

परंतु यह कि, सहायक ऊर्जा खपत में, उत्पादन स्टेशन पर आवासीय कॉलोनी और अन्य सुविधाओं को विद्युत आपूर्ति के लिए उपभोग की गई ऊर्जा और उत्पादन स्टेशन पर निर्माण कार्यों के लिए उपभोग की गई ऊर्जा शामिल नहीं होगी:

परंतु यह और कि, पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए सहायक ऊर्जा खपत, सीवेज उपचार संयंत्र और बाहरी कोयला हैंडलिंग संयंत्र (जेटी और संबंधित बुनियादी ढांचे) पर अलग से विचार किया जाएगा;

3.10. कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में किसी अवधि के संबंध में **''उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए सहायक ऊर्जा खपत'' या ''एयूएक्सई''** से अभिप्रेत है इस विनियमन (एयूएक्सई) के मुख्य खंड के अंतर्गत सहायक ऊर्जा खपत के अतिरिक्त, कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन के उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के सहायक उपकरण द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा है; तथापि, ''एयूएक्सई'', की गणना के प्रयोजन के लिए ईसीआर पर विचार नहीं किया

जाएगा और ऊर्जा प्रभार पर इसके प्रभाव को, ईसीआर के माध्यम से पूरक टैरिफ के द्वारा निपटाया जाएगा;

3.11. उप–स्टेशन के मामले में किसी अवधि के संबंध में **''उप–स्टेशन में सहायक ऊर्जा खपत'' या ''एयूएक्सएस''** से अभिप्रेत है उप–स्टेशन की प्रकाश व्यवस्था, बैटरी चार्जिंग और सहायक उपकरणों के लिए खपत की गई ऊर्जा की मात्रा, जिसमें आवासीय कॉलोनी में खपत की गई ऊर्जा को छोडकर उप–स्टेशन के नियंत्रण कक्ष में खपत शामिल है;

3.12. **''विलंबित भुगतान अधिभार की आधार दर''** से अभिप्रेत है भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष के लिए उधार दर पर आधारित निधियों की सीमांत लागत, जो वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल माह से लागू होगी, जिसमें अवधि तथा पांच प्रतिशत की दर निहित है, और उधार दर आधारित निधियों की उपलब्धता के अभाव में, कोई अन्य व्यवस्था, जो प्रतिस्थापित किया जाये, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाये, लागू होंगी:

परंतु यह कि, यदि चूक की अवधि, दो या अधिक वित्तीय वर्षों में आती है, तो विलंबित भुगतान अधिभार की दर, अलग–अलग वर्षों में पड़ने वाली अवधि के लिए अलग–अलग गणना की जाएगी।

3.13. **''बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ'' या ''बीईएसएस परियोजना''** से अभिप्राय होगा, उपयोगित पद्धति एवं तकनीकी प्रणालियों (प्रणालियों)/परियोजना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी जैसे कि (एसिड, लिवोन, ठोस अवस्था बैटरी, फ्लो बैटरी आदि) सुविधा उपलब्ध करती है कि विद्युत के रूप में रासायनिक ऊर्जा भंडारण और संग्रहीत ऊर्जा को प्राप्त कर सके, जिसमें सहायक सुविधाएं (उदाहरण के लिए, ग्रिड समर्थन) शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

3.14. **''हितग्राही (लाभार्थी)'' :**

(क) किसी **उत्पादन केंद्र** के संबंध में अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो स्टेशन द्वारा उत्पादित बिजली, वार्षिक नियत प्रभार और/या ऊर्जा प्रभार का भुगतान करके बिजली क्रय करता है;

(ख) **पारेषण प्रणाली** के संबंध में अभिप्रेत है दीर्घकालिक एवं मध्यमकालिक खुली पहुंच उपभोक्ता, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यान्तरिक खुली पंहुच) विनियम, 2011, समय–समय पर यथा संशोधित, में परिभाषित है, तथा इसमें ऐसे वितरण लाइसेंसधारी शामिल हैं, जिनका एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी के साथ पारेषण सेवा अनुबंध है;

(ग) **वितरण तार व्यवसाय** के संबंध में, आपूर्ति कंपनी या लाइसेंसधारी या उपभोक्ता, जैसी भी स्थिति हो;

(घ) **खुदरा आपूर्ति व्यवसाय** के संबंध में, उपभोक्ता

(ड.) **एसएलडीसी** के संबंध में, उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या खुले पहुंच उपभोक्ता, जो बिजली के पारेषण के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग करते हैं और/या बिजली के संचालन के लिए राज्य में लाइसेंस की वितरण प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसी भी स्थिति हो, और/या शेड्यूलिंग और वास्तविक–समय ग्रिड संचालन, राज्य ऊर्जा लेखांकन, पूल खाते के संचालन आदि से संबंधित एसएलडीसी की सेवाओं का लाभ उठाते हैं;

3.15. **"पूंजीगत लागत"** से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत, जो कि यथास्थिति, उत्पादन केन्द्र या पारेषण या वितरण प्रणाली के संबंध में विनियम 18 में तथा एकीकृत खानों के संबंध में विनियम 54 में परिभाषित है;

3.16. **"पूंजी निवेश योजना"** में विनियम 7 में यथा विनिर्दिष्ट तत्व शामिल होंगे;

3.17. **"कानून में परिवर्तन"** से अभिप्रेत है निम्नलिखित में से किसी भी घटना का घटित होना है :

(1) भारतीय कानून का अधिनियमन, प्रवृत्त करना, अंगीकृत करना, प्रख्यापित करना, संशोधन, उपांतरण या निरसन; या

(2) किसी विद्यमान भारतीय कानून को अंगीकृत करना, संशोधित करना, उपान्तरण करना, निरसन करना या पुनः अधिनियमित करना;

(3) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण या भारतीय सरकारी संस्था द्वारा भारतीय कानून की व्याख्या में परिवर्तन, जो ऐसी व्याख्या के लिए कानून के अंतर्गत अंतिम प्राधिकारी है; या

(4) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा, परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त किसी सहमति या अनुमति या अनुमोदन या लाइसेंस की किसी शर्त या अनुबंध में परिवर्तन;

(5) भारत सरकार और किसी अन्य संप्रभु सरकार के बीच किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते या संधि में परिवर्तन या प्रवृत्त करना, जिसका इन विनियमों के तहत विनियमित उत्पादन स्टेशन या लाइसेंसधारियों या एसएलडीसी पर प्रभाव पड़ता हो;

3.18. **"आयोग"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 82 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

3.19. **"नियंत्रण अवधि"** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा निर्धारित बहु–वर्षीय अवधि, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2030 तक है ;

3.20. **"कट–ऑफ तिथि"** से अभिप्रेत है एकीकृत खदानों के मामले को छोड़कर परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से छत्तीस महीने के बाद समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन ;

3.21 एकीकृत खान(खानों) के संबंध में **''उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि''** से अभिप्रेत है उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित कोयला उत्खनन की तिथि से है, जैसी भी स्थिति हो;

3.22. **''वाणिज्यिक संचालन की तिथि''** या **''सीओडी''** से अभिप्रेत है :

(i) ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन की किसी इकाई या ब्लॉक के संबंध में, लाभार्थियों को विधिवत सूचना देने के बाद सफल परीक्षण के माध्यम से अधिकतम सतत रेटिंग (एमसीआर) या स्थापित क्षमता (आईसी) का प्रदर्शन करने के बाद उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित तिथि, जिसमें से 00:00 बजे से भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी)/छ.ग.राज्य ग्रिड कोड के अनुसार समय–समय पर संशोधित अनुसूची प्रक्रिया, पूरी तरह से कार्यान्वित की जाती है, और समग्र रूप से उत्पादन स्टेशन के संबंध में, उत्पादन स्टेशन की अंतिम इकाई या ब्लॉक के वाणिज्यिक संचालन की तिथि;

(ii) उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संबंध में सीओडी से अभिप्रेत है उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली को उपयोग में लाने की तिथि और पर्यावरण मानक है, जिसमें ''उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली'' का अर्थ उपकरणों या युक्तियों का एक समुच्चय है, जिसे पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई में स्थापित किया जाना आवश्यक है;

(iii) एकीकृत खान(खानों) के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से अभिप्राय, निम्नलिखित में से, जो भी पहले हो, से होगा :–

(क) उस वर्ष के बाद वाले वर्ष की पहली तारीख, जिसमें खनन योजना के अनुसार अधिकतम निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत प्राप्त किया जाता है; या

(ख) उस वर्ष के बाद वाले वर्ष की पहली तारीख, जिसमें इन विनियमों के अनुसार अनुमानित उत्पादन का मूल्य, उस वर्ष तक के कुल व्यय से अधिक हो; या

(ग) उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की तिथि :

परंतु यह कि, उपर्युक्त उप–खण्ड (क) से (ग) के अंतर्गत किसी भी घटना के शीघ्र घटित होने पर, उत्पादन कंपनी, अंतिम उपयोगकर्ता या संबद्ध उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) के लाभार्थियों को एक सप्ताह पूर्व सूचना देते हुए, संबंधित उप–खण्ड के अंतर्गत एकीकृत खान (खानों) के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि घोषित करेगी;

परंतु यह और कि, यदि एकीकृत खान, वाणिज्यिक प्रचालन के लिए तैयार है, किन्तु उत्पादन कंपनी या उसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों या खान

डेवलपर और ऑपरेटर के कारण वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा करने से रोका जाता है, तो आयोग, उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के रूप में ऐसी अन्य तारीख को मंजूरी दे सकता है, जिसे इस विनियमन के खंड (v) के किसी भी उप–खंड के तहत वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा को रोकने वाले प्रासंगिक कारणों पर विचार करने के बाद उचित माना जा सकता है;

परंतु यह भी कि, ऐसे मामलों में जहां प्रस्तावित सीओडी, 01.04.2026 को या उसके बाद है, पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत वाणिज्यिक संचालन की तारीख का अनुमोदन चाहने वाली उत्पादन कंपनी, एकीकृत खान(नों) के अंतिम उपयोगकर्ता या संबद्ध उत्पादन स्टेशन(नों) के लाभार्थियों को वाणिज्यिक संचालन की तारीख के बारे में एक महीने का पूर्व नोटिस देगी;

(iv) हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन की एक इकाई के संबंध में, जनरेटिंग कंपनी द्वारा 00:00 बजे से घोषित तिथि, जिसके लाभार्थियों को विधिवत नोटिस देने के बाद, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी)/छत्तीसगढ़ राज्य ग्रिड कोड के अनुसार शेड्यूलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से कार्यान्वित की जाती है, और समग्र रूप से उत्पादन स्टेशन के संबंध में, उत्पादन कंपनी द्वारा लाभार्थियों को विधिवत नोटिस देने के बाद, सफल परीक्षण के माध्यम से उत्पादन स्टेशन की स्थापित क्षमता के अनुरूप पीकिंग क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद घोषित तिथि;

टिप्पणी :

1. यदि तालाब या भंडारण के साथ हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन, अपर्याप्त जलाशय या तालाब स्तर के कारण स्थापित क्षमता के अनुरूप पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है, तो उत्पादन स्टेशन की अंतिम इकाई के वाणिज्यिक संचालन की तारीख को पूरे उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक संचालन की तारीख के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसे हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे जनरेटिंग यूनिट या जनरेटिंग स्टेशन की स्थापित क्षमता के बराबर पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करें, जब भी पूर्ण जलाशय/तालाब स्तर प्राप्त हो;

2. विशुद्ध रूप से नदी–प्रवाह जल विद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में, यदि इकाई या उत्पादन स्टेशन को कम प्रवाह अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया जाता है, जब जल ऐसे प्रदर्शन के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो ऐसे जल विद्युत उत्पादन स्टेशन या इकाई के लिए यह अनिवार्य होगा कि जब भी पर्याप्त प्रवाह उपलब्ध हो, तो वे स्थापित क्षमता के समतुल्य पिकिंग क्षमता का प्रदर्शन करें;

(v) पारेषण प्रणाली के संबंध में, एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा घोषित तिथि, जिसमें से 00:00 बजे पारेषण प्रणाली का एक तत्व, प्रेषक छोर से प्राप्तकर्ता छोर तक विद्युत और संचार सिग्नल पारेषित करने के लिए सफल चार्जिंग और परीक्षण संचालन के बाद नियमित सेवा में है;

परंतु यह कि, जहां पारेषण लाइन या उपस्टेशन, किसी विशिष्ट उत्पादन स्टेशन से विद्युत की निकासी के लिए समर्पित है, वहां उत्पादन कंपनी और पारेषण लाइसेंसधारी, जहां तक संभव हो, उत्पादन स्टेशन और पारेषण प्रणाली को एक साथ चालू करने का प्रयास करेंगे;

परंतु यह और कि यह तारीख, कैलेंडर माह का पहला दिन होगा और इसकी उपलब्धता का हिसाब उसी तारीख से लगाया जाएगा;

परंतु यह भी कि यदि पारेषण प्रणाली का कोई अवयव, नियमित सेवा के लिए तैयार है, किन्तु उसे ऐसी सेवा प्रदान करने से ऐसे कारणों से रोका जाता है, जो पारेषण लाइसेंसधारी, उसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों के कारण नहीं हैं, तो आयोग, अवयव के नियमित सेवा में आने से पहले वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को अनुमोदित कर सकता है;

(vi) संचार प्रणाली या उसके घटक के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन की तिथि का तात्पर्य ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा घोषित तिथि से होगा, जो 00:00 बजे से होगी, जिस दिन संबंधित राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा प्रमाणित संबंधित नियंत्रण केंद्र को वाईस और डेटा के हस्तांतरण सहित साइट स्वीकृति परीक्षण पूरा होने के बाद संचार प्रणाली या घटक को सेवा में रखा जाता है;

(vii) वितरण प्रणाली के संबंध में, अभिप्रेत है उपस्टेशनों की विद्युत लाइनों को उसके घोषित वोल्टेज स्तर तक चार्ज करने की तिथि :

परंतु यह कि, ऐसे मामलों में जहां लाइन/सबस्टेशन को चार्जिंग के लिए तैयार घोषित किया गया है, किन्तु लाइसेंसधारी, उन कारणों से चार्ज करने में सक्षम नहीं है, जिसके लिये लाइसेंसधारी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, ऐसी लाइन (लाइनों)/सबस्टेशनों के संबंध में ''प्रचालन की तारीख'' को लाइन (लाइनों)/सबस्टेशनों को चार्जिंग के लिए तैयार घोषित किए जाने के सात दिन बाद माना जाएगा।

3.23 **''दिन''** से अभिप्रेत है 00:00 बजे से शुरू होने वाली 24 घंटे की अवधि;

3.24. इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ के प्रयोजन के लिए **''डी–कैपिटलाइजेशन''** से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा स्वीकार की गई परिसंपत्तियों के निष्कासन या विलोपन के अनुरूप परियोजना की सकल स्थिर परिसंपत्तियों में कमी;

3.25. किसी उत्पादन स्टेशन के संबंध में **"घोषित क्षमता"** या **"डीसी"** से अभिप्रेत है ऐसे उत्पादन स्टेशन द्वारा दिन के किसी भी समय–खंड या पूरे दिन के संबंध में मेगावाट में एक्स–बस बिजली देने की घोषित क्षमता, जिसमें ईंधन या जल की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है, तथा जो संबंधित विनियम में अग्रतर योग्यता के अध्यधीन है;

3.26. **"डी–कमीशनिंग"** से अभिप्रेत है किसी उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई या संचार प्रणाली या उसके अवयव सहित पारेषण प्रणाली या संचार प्रणाली या उसके अवयव सहित भार प्रेषण केंद्र उपकरण या वितरण प्रणाली या उसके अवयव सहित उपकरण को सेवा से हटाना, जब केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकृत एजेंसी द्वारा, या तो स्वयं या परियोजना डेवलपर या लाभार्थियों या दोनों द्वारा किए गए आवेदन पर, यह प्रमाणित कर दिया जाए कि तकनीकी अप्रचलन या अलाभकारी संचालन या इन कारकों के संयोजन के कारण परिसंपत्तियों के गैर–निष्पादन के कारण, परियोजना का संचालन नहीं किया जा सकता है;

3.27. हाइड्रों जनरेटिंग स्टेशन के मामले में **"डिजाईन ऊर्जा"** से अभिप्रेत है ऊर्जा की वह मात्रा, जो जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की 95 प्रतिशत स्थापित क्षमता के साथ 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में उत्पन्न की जा सकती है ;

3.28. **"वितरण तार व्यवसाय"** से अभिप्रेत है वितरण लाइसेंसधारियों के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के संवहन के लिए वितरण प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण का व्यवसाय;

3.29. **"ईआरसी"** से अभिप्रेत है टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व, जिसे लाइसेंसधारी को वसूलने की अनुमति है ;

3.30. एकीकृत खदान के संदर्भ में **"एस्क्रो खाता"** से अभिप्रेत है एकीकृत खदानों के खदान बंद करने के व्यय (माइन क्लोजर एक्सपेन्सेस) हेतु जमा और निकासी के लिए खाते, जो कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संधारित किया जाता है;

3.31. **"विद्यमान जनरेटिंग स्टेशन (उत्पादन केन्द्र)"** से अभिप्रेत है दिनांक 01.04.2026 से पूर्व की तिथि पर वाणिज्यिक संचालन के तहत घोषित उत्पादन केन्द्र ;

3.32. **"विद्यमान परियोजना"** से अभिप्रेत है दिनांक 01.04.2026 से पूर्व की तिथि पर वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत घोषित परियोजना ;

3.33. **"उपगत व्यय"** से अभिप्रेत है वह निधि, चाहे वह इक्विटी हो या ऋण या अनुदान या उपभोक्ता अंशदान या इनका संयोजन, जिसे वास्तव में किसी उपयोगी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए नियोजित किया गया हो ;

3.34. **"विस्तारित जीवन"** से अभिप्रेत है किसी उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई या पारेषण प्रणाली या उसके घटक के उपयोगी या परिचालन जीवन अवधि से परे जीवन, जैसा कि आयोग द्वारा मामला–दर–मामला आधार पर निर्धारित किया जाये;

3.35. **"शुल्क"** से अभिप्रेत है एसएलडीसी द्वारा अपनी ओर से या आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किसी अन्य खाते से एकत्रित एकमुश्त या वार्षिक निश्चित भुगतान;

3.36. **"अप्रत्याशित घटना"** से अभिप्रेत है ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों या घटनाओं या परिस्थितियों का संयोजन, जो संबंधित अंतर–राज्यीय उपयोगकर्ता के नियंत्रण से परे हैं, जिनका वे पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे या जिन्हें उचित परिश्रम के साथ भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था या जिन्हें रोका नहीं जा सकता था, और जो पक्षों के प्रदर्शन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है, जैसे कि :

(i) दैवीय कृत्य, जिनमें बिजली, आग और विस्फोट, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, चक्रवात, भूवैज्ञानिक आश्चर्य, सूखा, भूकंप, महामारी, लॉकडाउन शामिल हैं; या

(ii) युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या किसी विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई; या

(iii) हड़तालें और औद्योगिक उपद्रव, जिनका लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में राज्यव्यापी या व्यापक प्रभाव हो, किन्तु लाइसेंसधारी के अपने संगठन में हड़तालें और औद्योगिक उपद्रव इसमें शामिल नहीं हैं;

(iv) ग्रिड विफलता, जो संबंधित एजेंसियों के कारण न हो;

3.37. तापीय उत्पादन केन्द्र (थर्मल जनरेटिंग स्टेशन) के संबंध में **"सकल कैलोरी मान" या "जीसीवी"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति, एक किलोग्राम ठोस ईंधन या एक लीटर तरल ईंधन या एक मानक घन मीटर गैसीय ईंधन के पूर्ण दहन से किलो केल (kCal) में उत्पन्न ऊष्मा;

3.38. **"सकल स्टेशन ताप दर" या "एसएचआर"** से अभिप्रेत है किसी तापीय उत्पादन स्टेशन के जनरेटर टर्मिनलों पर एक किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु अपेक्षित किलो केल (kCal) में ताप ऊर्जा इनपुट;

3.39. **"भारतीय सरकारी संस्था"** से अभिप्रेत है भारत सरकार, राज्य सरकार (जहां परियोजना स्थित है) और भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग, बोर्ड या एजेंसी, अथवा स्थानीय सरकार, जहां परियोजना स्थित है, या भारत में प्रासंगिक कानूनों के तहत गठित अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण;

3.40. **"अशक्त विद्युत"** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन केंद्र की इकाई(यों) के वाणिज्यिक संचालन से पूर्व ग्रिड में संक्रमित विद्युत;

3.41. **"इनपुट मूल्य"** से अभिप्रेत है एकीकृत खदानों से प्राप्त कोयले का मूल्य, जिस पर कोयला, उत्पादन स्टेशन को हस्तांतरित किया जाता है, ताकि लाभार्थियों को बिजली के उत्पादन और आपूर्ति के लिए ऊर्जा शुल्क की गणना की जा सके और इन विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सके।

3.42. **"संस्थापित क्षमता" या "आईसी"** से अभिप्रेत है, जनरेटर टर्मिनलों पर गणना की गई उत्पादन क्षमता, जैसा कि समय–समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये, जो उत्पादन स्टेशन की सभी इकाइयों की नामांकित क्षमता के योग की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है;

3.43. **"एकीकृत खान"** से अभिप्रेत है कैप्टिव खान (एक या अधिक निर्दिष्ट उत्पादन केन्द्रों में उपयोग के लिए आबंटित) या बास्केट खान (किसी उत्पादन कम्पनी को उसके किसी उत्पादन केन्द्र में उपयोग के लिए आबंटित) या दोनों, जिसका विकास, लाभार्थियों को बिजली के उत्पादन और बिक्री के लिए एक या अधिक निर्दिष्ट अंतिम उपयोग उत्पादन केन्द्रों को कोयला आपूर्ति करने हेतु, उत्पादन कंपनी द्वारा किया जा रहा है ;

3.44. **"अंतर–राज्यीय क्रेता"** से अभिप्रेत है वितरण लाइसेंसधारी या विद्युत व्यापारी या थोक उपभोक्ता या कैप्टिव उपयोगकर्ता, जो अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का उपयोग करके खुली पहुंच के माध्यम से विद्युत प्राप्त करता है, जिसमें ऐसी प्रणाली भी शामिल है जब इसका उपयोग अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ संयोजन में किया जाता है और जिसका शेड्यूलिंग, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन का समन्वयन एसएलडीसी द्वारा किया जाता है ;

3.45. **"अंतर–राज्यीय इकाई"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिनकी शेड्यूलिंग, मोटरिंग और ऊर्जा लेखांकन का समन्वय एसएलडीसी द्वारा किया जाता है;

3.46, **"अंतर–राज्यीय बाजार परिचालन कार्य"** में शेड्यूलिंग, डिस्पैच, मीटरिंग, डेटा संग्रहण, ऊर्जा लेखांकन और सेटलमेंट (निपटान), ट्रांसमिशन हानि गणना और आबंटन, पूल खाते और कॉन्जेषन चार्ज खाते का संचालन, सहायक सेवाओं का प्रशासन, सूचना प्रसार और अधिनियम द्वारा एसएलडीसी को या आयोग के विनियमों और विनियमों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य शामिल हैं;

3.47. **"अंतर–राज्यीय विक्रेता"** से अभिप्रेत है ऐसा उत्पादन केंद्र, जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या वितरण लाइसेंसधारी या बिजली व्यापारी षामिल है, जो अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली द्वारा खुली पहुंच के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करता है, जिसमें ऐसी प्रणाली शामिल है, जब अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है और जिसका शेड्यूलिंग, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन का समन्वयन एसएलडीसी द्वारा किया जाता है;

3.48. **''अंतर–राज्यीय उपयोगकर्ता''** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसका विद्युत संयंत्र, 33 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर राज्य ग्रिड से जुड़ा है, जैसे कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी (सीटीयू और एसटीयू के अलावा) सहित उत्पादन कंपनी या कैप्टिव उपयोगकर्ता सहित कोई गैर–राज्यीय लाइसेंसधारी या थोक उपभोक्ता;

3.49, **''भूमिगत ईंधन लागत''** से अभिप्रेत है कोयला (सह–फायरिंग के मामले में बायोमास सहित), लिग्नाइट या उत्पादन संयंत्र के उतराई बिंदु पर वितरित गैस की कुल लागत, और इसमें आधार मूल्य या इनपुट मूल्य, वाशरी प्रभार, जहां भी लागू हो, परिवहन लागत (विदेशी या अंतर्देशीय या दोनों) और हैंडलिंग लागत, चेसेज, थर्ड पार्टी सैंपलिंग प्रभार, और लागू वैधानिक शुल्क, और आयातित कोयले पर उपगत विलंब प्रभार, यदि कोई हो, को छोड़कर, शामिल होंगे ;

3.50. एकीकृत खान(खानों) के संबंध में **''लोडिंग प्वाइंट''** से अभिप्रेत है यथास्थिति, रेलवे साइडिंग या साइलो या कोयला हैंडलिंग प्लांट या कन्वेयर बेल्ट जैसी अन्य व्यवस्था, जो भी खदान के सबसे निकटस्थ हो, कोयले के प्रेषण का स्थान ;

3.51. **''दीर्घकालिक''** से अभिप्रेत है 7 वर्ष से अधिक की अवधि;

3.52. थर्मल जनरेटिंग स्टेशन की किसी इकाई के संबंध में **''अधिकतम सतत रेटिंग'' या ''एमसीआर''** से अभिप्रेत है जनरेटर टर्मिनलों पर अधिकतम निरंतर आउटपुट, जो निर्माता द्वारा रेटेड मापदंडों पर गारंटीकृत है, जो जल या भाप इंजेक्शन (यदि लागू हो) के साथ हो और 50 हर्ट्ज ग्रिड आवृत्ति और निर्दिष्ट साईट स्थिति के लिए सही है ;

3.53. **''मध्यमकालिक''** से अभिप्रेत है 1 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक की कोई भी अवधि;

3.54. **''खान अवसंरचना''** में, एकीकृत खदानों की परिसंपत्तियां शामिल होंगी, जैसे कि खनन कार्यों के लिए प्रयुक्त कोण परिसंपत्तियां, सिविल कार्य, कार्यशालाएं, अचल निर्माण उपकरण, नींव, तटबंध, फुटपाथ, विद्युत प्रणालियां, संचार प्रणालियां, राहत केंद्र, साईट प्रशासनिक कार्यालय, स्थायी भवन, खनन व्यवस्था, क्रशिंग और संवहन प्रणालियां, रेलवे साइडिंग, पीट्स, शैल्ट, ढलान, भूमिगत परिवहन प्रणालियां, ढुलाई प्रणालियां (चल उपकरण को छोड़कर, जब तक कि वह स्थायी लाभकारी उपभोग के लिए भूमि में अंतर्निहित न हो, वनरोपण के लिए सीमांकित भूमि और प्रासंगिक कानून के तहत खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (आर एंड आर) के लिए भूमि पुनर्व्यस्थापन ;

3.55 एकीकृत खान(खानों) के संबंध में **''खनन योजना'' या ''खान योजना''** से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, जैसा भी स्थिति हो, खनिज रियायत नियम, 1980, समय–समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार तैयार की

गई और खान एवं खनिज (विकास एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1957 धारा 12 की उप–धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत अनुमोदित योजना ;

3.56. **"नवीन उत्पादन स्टेशन"** से अभिप्रेत है वह स्टेशन, जो 1.4.2026 को सीओडी प्राप्त कर रहा है या 1.4.2026 को या उसके बाद सीओडी प्राप्त करने का अनुमान है;

3.57. किसी उत्पादन केंद्र के संबंध में **"मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक" या "एनएपीएएफ"** से अभिप्रेत है तापीय उत्पादन केंद्र के लिए विनियम 42 में और जल विद्युत उत्पादन केंद्र के लिए विनियम 43 में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक;

3.58. **"प्रचालन एवं रखरखाव व्यय" या "ओ एंड एम व्यय"** से अभिप्रेत है परियोजना या उसके किसी भाग के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय, तथा इसमें जनशक्ति व्यय, मरम्मत एवं रखरखाव पुर्जे, उपभोग्य वस्तुएं, बीमा और सामान्य उपरिव्यय शामिल हैं:

इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, ओ एंड एम व्यय, मानव संसाधन और एम एंड जी व्यय का कुल योग है, जिनका निपटारा प्रासंगिक विनियमों द्वारा किया गया है:

परंतु यह कि, एकीकृत खदानों के लिए, प्रचालन एवं रखरखाव व्यय (ओ एंड एम व्यय) में उत्पादन कंपनी द्वारा नियोजित खदान डेवलपर और ऑपरेटर को भुगतान किया गया खनन प्रभार, यदि कोई हो, और खदान बंद करने का व्यय शामिल नहीं होगा;

3.59, **"मूल परियोजना लागत"** से अभिप्रेत है उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी / एसटीयू या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, आयोग द्वारा स्वीकृत कट–ऑफ तिथि तक परियोजना के मूल दायरे में किया गया पूंजीगत व्यय;

3.60. एकीकृत खान(खानों) के संबंध में **"पीक रेटेड क्षमता"** से अभिप्रेत है खनन योजना में विनिर्दिष्ट खान की पीक रेटेड क्षमता ;

3.61. **"पिट हेड जनरेटिंग स्टेशन"** से अभिप्रेत है किसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को शामिल किए बिना खदानों से जनरेटिंग स्टेशन तक कोयले के परिवहन के लिए समर्पित परिवहन प्रणाली वाली जनरेटिंग स्टेशन ;

3.62. किसी भी अवधि के लिए उत्पादन स्टेशन के संबंध में **"प्लांट उपलब्धता कारक (पीएएफ)"** से अभिप्रेत है उस अवधि के दौरान सभी दिनों के लिए दैनिक घोषित क्षमताओं (डीसी) का औसत, जिसे मानक सहायक ऊर्जा खपत से घटाकर मेगावाट में संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है;

3.63. किसी निश्चित अवधि के लिए ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन या इकाई के संबंध में **"प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ)"** से अभिप्रेत है उस अवधि के दौरान शेड्यूल्ड

उत्पादन के अनुरूप भेजी गई कुल ऊर्जा, जिसे उस अवधि में संस्थापित क्षमता के अनुरूप भेजी गई ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1} SGi / \{N \times IC \times (l00-AUXn)\}\%$$

जहां,

आईसी = उत्पादन स्टेशन या इकाई की स्थापित क्षमता, मेगावाट में,

एसजीआई = अवधि के i^{th} समय ब्लॉक के लिए मेगावाट में शेड्यूल्ड उत्पादन,

एन = अवधि के दौरान समय ब्लॉकों की संख्या, और

एयूएक्स$_{\text{एन}}$ = सकल ऊर्जा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में मानक सहायक ऊर्जा खपत,

परंतु यह कि उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों या उसके घटक के चालू होने पर, पीएलएफ की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} SGi / \{N \times IC \times (l00-AUXn- AUXen)\}\%$$

जहां,

एयूएक्स$_{\text{इएन}}$ = उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली या उसके किसी घटक के लिए मानक सहायक ऊर्जा खपत, जिसका उपयोग सकल ऊर्जा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में किया गया है;

3.64. **''परियोजना''** से अभिप्रेत है कोई उत्पादन केंद्र, जिसमें एकीकृत कोयला खदानें या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित है, तथा जल विद्युत उत्पादन केंद्र के मामले में, इसमें उत्पादन सुविधा के सभी घटक, जैसे बांध, अंतर्ग्रहण जल चालक प्रणाली, विद्युत उत्पादन केंद्र और योजना की उत्पादन इकाईयां, विद्युत उत्पादन में आबंटित, सम्मिलित हैं ;

3.65. **''पंप स्टोरेज हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन''** से अभिप्रेत है ऐसा हाइड्रो स्टेशन, जो जल ऊर्जा के रूप में संग्रहीत ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है, जिसे निचले स्तर के जलाशय से उच्च स्तर के जलाशय में पंप किया जाता है ;

3.66. **''रेटेड वोल्टेज''** से अभिप्रेत है निर्माता द्वारा डिजाईन किया गया वोल्टेज, जिस पर ट्रांसमिशन सिस्टम को संचालित करने के लिए डिजाईन किया गया है और इसमें ऐसा निम्न वोल्टेज शामिल है, जिस पर किसी ट्रांसमिशन लाइन को चार्ज

किया जाता है या लाभार्थी के परामर्श से, कुछ समय के लिए चार्ज किया जाता है;

3.67. **"विनियमित व्यवसाय"** से अभिप्रेत है वे कार्य और गतिविधियॉ, जिन्हें लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के अनुसार या अधिनियम के अंतर्गत मान्य लाइसेंसधारी के रूप में करना आवश्यक है, और उत्पादन कंपनी को अधिनियम के प्रावधानों और आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार करना आवष्यक है ;

3.68. **"खुदरा आपूर्ति व्यवसाय"** से अभिप्रेत है वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अपने उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री का व्यवसाय ;

3.69. **"खुदरा आपूर्ति टैरिफ"** वह दर है, जो वितरण लाइसेंस द्वारा उपभोक्ता को आपूर्ति के लिए प्रभारित की जाती है और इसमें व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति सेवाओं के लिए प्रभार शामिल हैं,

3.70. **"रन–ऑफ–रिवर जनरेटिंग स्टेशन"** से अभिप्रेत है ऐसा जल विद्युत उत्पादन स्टेशन, जिसमें उपर की ओर तालाब या जलमग्नता न हो;

3.71. "**रन–ऑफ–रिवर जनरेटिंग स्टेशन विद् पोन्डेज"** से अभिप्रेत है विद्युत मांग में दैनिक परिवर्तन को पूरा करने के लिए पर्याप्त तालाब युक्त जल विद्युत उत्पादन केंद्र,

3.72. **"षेड्यूल्ड वाणिज्यिक परिचालन तिथि" या "एससीओडी"** से अभिप्रेत होगा, किसी उत्पादन केंद्र या उत्पादन इकाई या उसके ब्लॉक, पारेषण प्रणाली या उसके घटक के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (तिथियां), जैसा कि सीआईपी में दर्शाया गया हो या जैसा कि यथास्थिति, विद्युत क्रय अनुबंध या पारेषण सेवा अनुबंध में सहमति हो, जो भी पूर्वतर हो;

3.73. **"षेड्यूल्ड ऊर्जा"** से अभिप्रेत है संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा निर्धारित ऊर्जा की मात्रा, जिसे किसी निश्चित समयावधि के लिए उत्पादन स्टेशन द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित किया जाना है ;

3.74. किसी भी समय या किसी भी अवधि या समय–ब्लॉक के लिए **"षेड्यूल्ड उत्पादन"** या **"एसजी"** से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा मेगावाट या मेगावाट घंटा एक्स–बस में दी गई उत्पादन का षेड्यूल्ड ;

3.75. **"योजना"** से अभिप्रेत है उत्पादन स्टेशन/ट्रांसमिशन प्रणाली/वितरण प्रणाली/एसएलडीसी से संबद्ध और संस्थापित सुविधाएं और उपकरण, और इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, अर्थात :–

क. कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर,

ख. सहायक विद्युत आपूर्ति प्रणाली, जिसमें निर्बाध विद्युत आपूर्ति, डीजल जनरेटिंग सेट और डीसी विद्युत प्रणाली शामिल है,

ग. सामान्य टेलीफोन, फैक्स और अन्य ऑफलाइन संचार प्रणाली,

घ. अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जैसे एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन और भवनों का निर्माण और नवीनीकरण,

ङ. बेहतर प्रणाली संचालन के लिए कोई भी नवीन योजनाएँ, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाएँ और पायलट परियोजनाएँ, जैसे सिंक्रोफेसर, सिस्टम सुरक्षा योजना,

च. एसएलडीसी के लिए बैक–अप नियंत्रण केंद्र,

छ. निगरानी कैमरा प्रणाली, और

ज. साइबर सुरक्षा प्रणाली;

3.76. **"अल्पकालिक"** से अभिप्रेत है 15 मिनट समय ब्लॉक से लेकर 1 वर्ष तक की कोई भी अवधि;

3.77. **"एसएलडीसी प्रभार"** से अभिप्रेत है एसएलडीसी द्वारा वसूले जाने वाले आवर्ती और मासिक भुगतान;

3.78. **"प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि"** से अभिप्रेत है परियोजना के कार्यान्वयन के प्रारंभ के लिए निवेश अनुमोदन में दर्शाई गई तिथि, और जहां कोई तिथि नहीं दर्शाई गई है, वहां निवेश अनुमोदन की तिथि को प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि माना जाएगा;

3.79. **"स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (राज्य भार प्रेषण केन्द्र)" या "एसएलडीसी"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (1) के अंतर्गत स्थापित केन्द्र ;

3.80. **"राज्य पूल खाता"** से अभिप्रेत है विचलन प्रभार या रिएक्टिव एनर्जी एक्सचेंज (रिएक्टिव ऊर्जा खाता) या किसी अन्य ऐसे खाते से संबंधित भुगतानों के लिए राज्य खाते, जिसे आयोग के विनियमों या निर्देशों के अनुसार समय–समय पर एसएलडीसी द्वारा संचालित किया जा सकता है;

3.81. **"राज्य प्रणाली संचालन कार्य"** में, ग्रिड संचालन की निगरानी, अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण, ग्रिड नियंत्रण और प्रेषण के लिए वास्तविक समय संचालन, ग्रिड गड़बड़ी के बाद प्रणाली बहाली, प्रणाली संचालन से संबंधित डेटा संकलित करना और प्रस्तुत करना, कॉन्जेषन प्रबंधन, ब्लैक स्टार्ट समन्वय और अधिनियम और/या आयोग के नियमों और/या आदेशों द्वारा एसएलडीसी को सौंपे गए कोई अन्य कार्य शामिल हैं;

3.82. **"भंडारण अनुरूप उत्पादन स्टेशन"** से अभिप्रेत है ऐसा जल विद्युत उत्पादन स्टेशन, जो मांग के अनुसार विद्युत उत्पादन में परिवर्तन लाने के लिए बड़ी भंडारण क्षमता से संबद्ध है;

3.83. **"ट्रांसमिशन सेवा अनुबंध (टीएसए)"** से अभिप्रेत है ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी/एसटीयू और लाभार्थी के बीच ट्रांसमिशन प्रणाली के परिचालन चरण के लिए किया गया समझौता, अनुबंध, समझौता ज्ञापन या ऐसा कोई अन्य अनुबंध;

3.84. **"ट्रांसमिशन सिस्टम (पारेषण प्रणाली)"** से अभिप्रेत है संबद्ध उप–स्टेशन सहित या रहित लाइन या लाइनों के समूह, और इसमें पारेषण लाइनों और उप–स्टेशनों से संबद्ध उपकरण शामिल हैं;

3.85. किसी उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली या उसके किसी घटक के संबंध में **"ट्रायल रन" या "परीक्षण संचालन"**, सीईआरसी (टैरिफ के निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 और उसके संशोधनों/अधिनियमितयों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा;

3.86. तापीय उत्पादन स्टेशन के संबंध में **"इकाई"** से अभिप्रेत है भाप जनरेटर, टरबाइन जनरेटर और सहायक उपकरण; और जल विद्युत उत्पादन स्टेशन के संबंध में **"इकाई"** से अभिप्रेत है टरबाइन जनरेटर और उसके सहायक उपकरण;

3.87. सीओडी से उत्पादन केंद्र, पारेषण और वितरण की किसी इकाई के संबंध में **"उपयोगी जीवन"** से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा, अर्थात :–

(क) कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन	25	वर्ष
(ख) गैस/तरल ईंधन आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन	25	वर्ष
(ग) एसी और डीसी सब–स्टेशन	25	वर्ष
(घ) गैस इंसुलेटेड सब–स्टेशन	25	वर्ष
(ड.) पंप स्टोरेज हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों सहित हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन	40	वर्ष
(च) ट्रांसमिशन लाइन या वितरण लाइन	35	वर्ष
(छ) ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू)	15	वर्ष
(ज) आईटी प्रणाली, स्काडा (SCADA) और संचार प्रणाली, ओपीजीडब्ल्यू को छोड़कर,	07	वर्ष
(झ) एकीकृत खदान खनन योजना के अनुसार;		

परंतु यह कि कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशनों और जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के मामले में परिचालन जीवन, क्रमशः 35 वर्ष और 50 वर्ष हो सकेगा;

3.88. **"व्हीलिंग"** से अभिप्रेत है वह परिचालन, जिसके तहत किसी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी की ट्रांसमिशन प्रणाली या वितरण प्रणाली और संबद्ध सुविधाओं का उपयोग, जैसी भी स्थिति हो, अधिनियम की धारा 62 के

तहत निर्धारित प्रभार के भुगतान पर बिजली के संवहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है;

3.89. **"वर्ष"** से अभिप्रेत है 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष :

(क) **"चालू वर्ष"** से अभिप्रेत है वह वर्ष, जिसमें वार्षिक लेखा विवरण या टैरिफ निर्धारण हेतु आवेदन दाखिल किया जाता है;

(ख) **"आगामी वर्ष"** से अभिप्रेत है चालू वर्ष के बाद आने वाले वर्ष; और

(ग) **"पूर्व वर्ष"** से अभिप्रेत है चालू वर्ष से ठीक पहले वाले वर्ष।

3.90. शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो विनियमन में प्रयुक्त है और जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में अथवा अधिनियम की धारा 176/181 के अंतर्गत केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों में अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम, नियमों और आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य विनियमों में उनके लिये समनुदेषित है, परंतु यह कि जब कोई शब्द या वाक्यांश, आयोग द्वारा किसी विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो उस विशिष्ट संदर्भ में लागू अर्थ ही मान्य होगा और ऊपर दी गई सामान्य परिभाषा लागू नहीं हो सकेगी।